<u>रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99</u>



सी.जी.-डी.एल.-अ.-24042023-245361 CG-DL-E-24042023-245361

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1782]

नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 24, 2023/वैशाख 4, 1945 NEW DELHI, MONDAY, APRIL 24, 2023/VAISAKHA 4, 1945

No. 1782]

2662 GI/2023

रसायन और उर्वरक मंत्रालय

(रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 24 अप्रैल, 2023

का.आ. 1864(अ).—केन्द्रीय सरकार की, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय मानक ब्यूरो से परामर्श के पश्चात यह राय है कि, लोकहित में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, लॉरिक एसिड) गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2022 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात्-:

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम लॉरिक एसिड (गुणवत्ता नियंत्रण) संशोधन आदेश, 2023 है।
 - (2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा।
- 2. लॉरिक एसिड (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2022 के पैरा 1 में, उप-पैरा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उप-पैरा रखा जाएगा, अर्थात्:-
 - "(2) यह 24 अक्टूबर, 2023 को प्रवृत्त होगा।"

[फा .सं .सी. II-13012/1/2021-केम. II] सुशांत कुमार पुरोहित, संयुक्त सचिव

(1)

टिप्पण: मूल आदेश भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में संख्यांक का.आ. 1961 (अ), तारीख 27 अप्रैल, 2022 द्वारा प्रकाशित किया गया था और तत्पश्चात अधिसूचना संख्यांक का.आ. 4992 (अ), तारीख 21 अक्टूबर, 2022 द्वारा संशोधित किया गया था।

MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS

(Department of Chemicals and Petrochemicals)

ORDER

New Delhi, the 24th April, 2023

- **S.O. 1864(E).**—In exercise of the powers conferred by section 16 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), the Central Government after consulting the Bureau of Indian Standards, is of the opinion that it is necessary or expedient so to do in the public interest, hereby makes the following amendment to the Lauric Acid (Quality Control) Order, 2022, namely:-
- 1. **Short title and commencement.**—(1) This Order may be called the Lauric Acid (Quality Control) Amendment Order, 2023.
 - (2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.
- 2. In the Lauric Acid (Quality Control) Order, 2022, in paragraph 1, for sub-paragraph (2), the following sub-paragraph shall be substituted, namely:-
 - "(2) This order shall come into force on the 24th day of October, 2023".

[F. No.C.II-13012/1/2021- Chem.II]

SUSANTA KUMAR PUROHIT, Jt. Secy.

Note : The principal Order was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 27th April, 2022, *vide* number S.O. 1961(E), dated the 27th April, 2022 and subsequently amended *vide* notification number S.O. 4992(E) dated the 21st October, 2022.

आदेश

नई दिल्ली, 24 अप्रैल, 2023

- का.आ. 1865(अ).—केन्द्रीय सरकार की, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय मानक ब्यूरो से परामर्श के पश्चात यह राय है कि, लोकहित में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, एसिड ऑयल (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2022 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात:-
- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम एसिड ऑयल (गुणवत्ता नियंत्रण) संशोधन आदेश, 2023 है।
 - (2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा।
- 2. एसिड ऑयल (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2022 के पैरा 1 में, उप-पैरा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उप-पैरा रखा जाएगा, अर्थात्:-
 - "(2) यह 24 अक्टूबर, 2023 को प्रवृत्त होगा।"

[फा .सं .सी.II-13012/1/2021-केम.II]

सुशांत कुमार पुरोहित, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल आदेश भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में संख्यांक का.आ. 1962 (अ), तारीख 27 अप्रैल, 2022 द्वारा प्रकाशित किया गया था और तत्पश्चात अधिसूचना संख्यांक का.आ. 4993 (अ), तारीख 21 अक्टूबर, 2022 द्वारा संशोधित किया गया था।

ORDER

New Delhi, the 24th April, 2023

- **S.O. 1865(E).**—In exercise of the powers conferred by section 16 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), the Central Government after consulting the Bureau of Indian Standards, is of the opinion that it is necessary or expedient so to do in the public interest, hereby makes the following amendment to the Acid Oil (Quality Control) Order, 2022, namely:-
- **1. Short title and commencement.—** (1) This Order may be called the Acid Oil (Quality Control) Amendment Order, 2023.
 - (2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.
- 2. In the Acid Oil (Quality Control) Order, 2022, in paragraph 1, for sub-paragraph (2), the following sub-paragraph shall be substituted, namely:-
 - "(2) This order shall come into force on the 24th day of October, 2023".

[F. No.C.II-13012/1/2021- Chem.II]

SUSANTA KUMAR PUROHIT, Jt. Secy.

Note : The principal Order was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 27th April, 2022, *vide* number S.O. 1962(E), dated the 27th April, 2022 and subsequently amended *vide* notification number S.O. 4993(E) dated the 21st October, 2022

आदेश

नई दिल्ली, 24 अप्रैल, 2023

- का.आ. 1866(अ).—केन्द्रीय सरकार की, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय मानक ब्यूरो से परामर्श के पश्चात यह राय है कि, लोकहित में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, पाम फैटी एसिड (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2022 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात:-
- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम पाम फैटी एसिड (गुणवत्ता नियंत्रण) संशोधन आदेश, 2023 है।
 - (2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा।
- 2. पाम फैटी एसिड (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2022 के पैरा 1 में, उप-पैरा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उप-पैरा रखा जाएगा, अर्थात:-
 - "(2) यह 24 अक्टूबर, 2023 को प्रवृत्त होगा।"

[फा .सं .सी.II-13012/1/2021-केम.II]

सुशांत कुमार पुरोहित, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल आदेश भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में संख्यांक का.आ. 1963 (अ), तारीख 27 अप्रैल, 2022 द्वारा प्रकाशित किया गया था और तत्पश्चात अधिसूचना संख्यांक का.आ. 4994 (अ), तारीख 21 अक्टूबर, 2022 द्वारा संशोधित किया गया था।

ORDER

New Delhi, the 24th April, 2023

- **S.O. 1866(E).**—In exercise of the powers conferred by section 16 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), the Central Government after consulting the Bureau of Indian Standards, is of the opinion that it is necessary or expedient so to do in the public interest, hereby makes the following amendment to the Palm Fatty Acids (Quality Control) Order, 2022, namely:-
- **1. Short title and commencement.** (1) This Order may be called the Palm Fatty Acids (Quality Control) Amendment Order, 2023.
 - (2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.
- 2. In the Palm Fatty Acids (Quality Control) Order, 2022, in paragraph 1, for sub-paragraph (2), the following sub-paragraph shall be substituted, namely:-
 - "(2) This order shall come into force on the 24th day of October, 2023".

[F. No.C.II-13012/1/2021- Chem.II]

SUSANTA KUMAR PUROHIT, Jt. Secy.

Note : The principal Order was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 27th April, 2022, *vide* number S.O. 1963(E), dated the 27th April, 2022 and subsequently amended *vide* notification number S.O. 4994(E) dated the 21st October, 2022.

आदेश

नई दिल्ली. 24 अप्रैल. 2023

- का.आ. 1867(अ).—केन्द्रीय सरकार की, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय मानक ब्यूरो से परामर्श के पश्चात यह राय है कि, लोकहित में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, राइस ब्रान फैटी एसिड (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2022 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात्:-
- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम राइस ब्रान फैटी एसिड (गुणवत्ता नियंत्रण) संशोधन आदेश, 2023 है।
 - (2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा।
- 2. राइस ब्रान फैटी एसिड (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2022 के पैरा 1 में, उप-पैरा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उप-पैरा रखा जाएगा, अर्थातु:-
 - "(2) यह 24 अक्टूबर, 2023 को प्रवृत्त होगा।"

[फा. सं. सी. II-13012/1/2021-केम. II]

सुशांत कुमार पुरोहित, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल आदेश भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में संख्यांक का.आ. 1964 (अ), तारीख 27 अप्रैल, 2022 द्वारा प्रकाशित किया गया था और तत्पश्चात अधिसूचना संख्यांक का.आ. 4995 (अ), तारीख 21 अक्टूबर, 2022 द्वारा संशोधित किया गया था।

ORDER

New Delhi, the 24th April, 2023

- **S.O. 1867(E).**—In exercise of the powers conferred by section 16 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), the Central Government after consulting the Bureau of Indian Standards, is of the opinion that it is necessary or expedient so to do in the public interest, hereby makes the following amendment to the Rice Bran Fatty Acids (Quality Control) Order, 2022, namely:-
- **1. Short title and commencement.—** (1) This Order may be called the Rice Bran Fatty Acids (Quality Control) Amendment Order, 2023.
 - (2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.
- 2. In the Rice Bran Fatty Acids (Quality Control) Order, 2022, in paragraph 1, for sub-paragraph (2), the following sub-paragraph shall be substituted, namely:-
 - "(2) This order shall come into force on the 24th day of October, 2023".

[F. No.C.II-13012/1/2021- Chem.II]

SUSANTA KUMAR PUROHIT, Jt. Secy.

Note : The principal Order was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 27th April, 2022, *vide* number S.O. 1964(E), dated the 27th April, 2022 and subsequently amended *vide* notification number S.O. 4995(E) dated the 21st October, 2022.

आदेश

नई दिल्ली, 24 अप्रैल, 2023

- का.आ. 1868(अ).—केन्द्रीय सरकार की, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय मानक ब्यूरो से परामर्श के पश्चात यह राय है कि, लोकहित में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, नारियल फैटी एसिड (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2022 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है. अर्थात:-
- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम नारियल फैटी एसिड (गुणवत्ता नियंत्रण) संशोधन आदेश, 2023 है।
 - (2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा।
- 2. नारियल फैटी एसिड (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2022 के पैरा 1 में, उप-पैरा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उप-पैरा रखा जाएगा, अर्थात:-
 - "(2) यह 24 अक्टूबर, 2023 को प्रवृत्त होगा।"

[फा .सं .सी. II-13012/1/2021-केम. II]

सुशांत कुमार पुरोहित, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल आदेश भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में संख्यांक का.आ. 1965 (अ), तारीख 27 अप्रैल, 2022 द्वारा प्रकाशित किया गया था और तत्पश्चात अधिसूचना संख्यांक का.आ. 4996 (अ), तारीख 21 अक्टूबर, 2022 द्वारा संशोधित किया गया था।

ORDER

New Delhi, the 24th April, 2023

S.O. 1868(E).—In exercise of the powers conferred by section 16 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), the Central Government after consulting the Bureau of Indian Standards, is of the opinion that it is necessary or expedient so to do in the public interest, hereby makes the following amendment to the Coconut Fatty Acids (Quality Control) Order, 2022, namely:-

- **1. Short title and commencement.** (1) This Order may be called the Coconut Fatty Acids (Quality Control) Amendment Order, 2023.
 - (2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.
- 2. In the Coconut Fatty Acids (Quality Control) Order, 2022, in paragraph 1, for sub-paragraph (2), the following sub-paragraph shall be substituted, namely:-
 - "(2) This order shall come into force on the 24th day of October, 2023".

[F. No.C.II-13012/1/2021- Chem.II]

SUSANTA KUMAR PUROHIT, Jt. Secy.

Note : The principal Order was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 27th April, 2022, *vide* number S.O. 1965(E), dated the 27th April, 2022 and subsequently amended *vide* notification number S.O. 4996(E) dated the 21st October, 2022.

आदेश

नई दिल्ली, 24 अप्रैल, 2023

- का.आ. 1869(अ).—केन्द्रीय सरकार की, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय मानक ब्यूरो से परामर्श के पश्चात यह राय है कि, लोकहित में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, हाइड्रोजनीकृत राइस ब्रान फैटी एसिड (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2022 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है. अर्थात:-
- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम हाइड्रोजनीकृत राइस ब्रान फैटी एसिड (गुणवत्ता नियंत्रण) संशोधन आदेश, 2023 है।
 - (2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा।
- 2. हाइड्रोजनीकृत राइस ब्रान फैटी एसिड (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2022 के पैरा 1 में, उप-पैरा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उप-पैरा रखा जाएगा, अर्थात्:-
 - "(2) यह 24 अक्टूबर, 2023 को प्रवृत्त होगा।"

[फा .सं .सी. II-13012/1/2021-केम. II]

सुशांत कुमार पुरोहित, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल आदेश भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में संख्यांक का.आ. 1967 (अ), तारीख 27 अप्रैल, 2022 द्वारा प्रकाशित किया गया था और तत्पश्चात अधिसूचना संख्यांक का.आ. 4997 (अ), तारीख 21 अक्टबर, 2022 द्वारा संशोधित किया गया था।

ORDER

New Delhi, the 24th April, 2023

- **S.O. 1869(E).**—In exercise of the powers conferred by section 16 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), the Central Government after consulting the Bureau of Indian Standards, is of the opinion that it is necessary or expedient so to do in the public interest, hereby makes the following amendment to the Hydrogenated Rice Bran Fatty Acids (Quality Control) Order, 2022, namely:-
- **1. Short title and commencement.** (1) This Order may be called the Hydrogenated Rice Bran Fatty Acids (Quality Control) Amendment Order, 2023.
 - (2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.
- 2. In the Hydrogenated Rice Bran Fatty Acids (Quality Control) Order, 2022, in paragraph 1, for sub-paragraph (2), the following sub-paragraph shall be substituted, namely:-
- "(2) This order shall come into force on the 24th day of October, 2023".

[F. No.C.II-13012/1/2021- Chem.II]

SUSANTA KUMAR PUROHIT, Jt. Secy.

Note : The principal Order was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 27th April, 2022, *vide* number S.O. 1967(E), dated the 27th April, 2022 and subsequently amended *vide* notification number S.O. 4997(E) dated the 21st October, 2022.

आदेश

नई दिल्ली, 24 अप्रैल, 2023

का.आ. 1870(अ).—केन्द्रीय सरकार की, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय मानक ब्यूरो से परामर्श के पश्चात यह राय है कि, लोकहित में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, मिथाइलीन क्लोराइड (डाइक्लोरोमीथेन) (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2022 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात:-

- 1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ -** (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम मिथाइलीन क्लोराइड (डाइक्लोरोमीथेन) (गुणवत्ता नियंत्रण) संशोधन आदेश, 2023 है।
 - (2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा।
- 2. मिथाइलीन क्लोराइड (डाइक्लोरोमीथेन) (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2022 के पैरा 1 में, उप-पैरा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उप-पैरा रखा जाएगा, अर्थातु:-
 - "(2) यह 20 नवंबर, 2023 को प्रवृत्त होगा।"

[फा .सं .सी. II-13012/1/2021-केम.II]

सुशांत कुमार पुरोहित, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल आदेश भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में अधिसूचना संख्यांक का.आ. 2032 (अ), तारीख 25 मई, 2021 द्वारा प्रकाशित किया गया था और तत्पश्चात अधिसूचना संख्या का.आ. 4913 (अ), तारीख 29 नवंबर, 2021, का.आ. 2224 (अ), तारीख 13 मई, 2022, का.आ. 5396 (अ), तारीख 18 नवंबर, 2022 द्वारा संशोधित किया गया था।

ORDER

New Delhi, the 24th April, 2023

- **S.O. 1870(E).**—In exercise of the powers conferred by section 16 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), the Central Government after consulting the Bureau of Indian Standards, is of the opinion that it is necessary or expedient so to do in the public interest, hereby makes the following amendment to the Methylene Chloride (Dichloromethane) (Quality Control) Order, 2021, namely:-
- **1. Short title and commencement.** (1) This Order may be called the Methylene Chloride (Dichloromethane) (Quality Control) Amendment Order, 2023.
 - (2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.
- 2. In the Methylene Chloride (Dichloromethane) (Quality Control) Order, 2021, in paragraph 1, for sub-paragraph (2), the following sub-paragraph shall be substituted, namely:-
- "(2) This order shall come into force on the 20th day of November, 2023."

[F. No.C.II-13012/1/2021- Chem.II]

SUSANTA KUMAR PUROHIT, Jt. Secy.

Note : The principal order was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) *vide* notification number S.O. 2032(E) dated the 25th May, 2021 and subsequently amended *vide* notification numbers S.O. 4913(E) dated the 29th November, 2021, S.O. 2224(E) dated the 13th May, 2022, S.O. 5396(E) dated the 18th November, 2022.